न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पुष्कर, अजमेर (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	आरसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
27 / 2021	2021 / 53	20.07.2021	20.07.2021

उनवान

श्री श्यामलाल सैन पुत्र स्व. श्री नाथूलाल सैन ग्राम चावंडिया तहसील पुष्कर जिला अजमेर।

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर।

अप्रार्थी

उपस्थितः–

पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ग्राम चावंडिया तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के खाता संख्या 12 के खसरा नंबरान 709 रकबा 0.15 है., 710 रकबा 0.16 है. के सहखातेदार श्यामसुन्दर पुत्र नाथू हिस्सा 1/6 के नाम (अशुद्धि) की दुरूस्ती कर तरमीम किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार पुष्कर से प्रकरण की जॉच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। जिसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 01 (तहसीलदार), पुष्कर द्वारा हाजिर होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.07.28 11:58:39 IST
Reason: SelfAttested

इस संबंध में पैरोकार सरकार/तहसीलदार द्वारा दिनांक 13.07.2021 पत्र क्रमांक/भू.अ./विविध/21/1041 न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र

में कथन किया कि '' ग्राम चावंडिया के प्रार्थी खातेदार श्यामलाल पुत्र नाथू जाति नाई का खाता संख्या 12 में श्यामसुन्दर पुत्र नाथू दर्ज है जबकि खाता संख्या 164 में प्रार्थी का नाम श्यामलाल पुत्र नाथू दर्ज है। प्रार्थी खातेदार का जमाबंदी में इन्द्राज जरिये विरासत हुआ है, तत्समय प्रार्थी के पिता के नाम दो खाते दर्ज थे जो कि क्रमशः खाता संख्या 66, 67 (वर्किंग जमाबंदी) थे। विरासत के ना.सं. 116 दिनांक 23.08.1998 से खाता संख्या 67 में प्रार्थी का नाम श्यामसुन्दर एवं खाता संख्या 66 में जरिये विरासत नामा सं. 229 दिनांक 03.07.1993 से श्यामलाल दर्ज किया गया है। जबकि दोनों ही खाते प्रार्थी के पिता नाथू पुत्र जीवण जाति नाई के नाम से दर्ज थे एवं विरासत में दोनों खातों में प्रार्थी के भाईयों के समान नाम दर्ज है जिससे यह स्पष्ट है कि श्यामलाल एवं श्यमासुन्दर दोनों ही एक ही व्यक्ति के नाम है जो कि दोनों खातों में अलग–अलग दर्ज हो गये।''

हमने उभयपक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों यथा – तहसीलदार पुष्कर की रिपोर्ट, आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, पैनकार्ड, जमाबंदी की नकल से यह प्रतीत होता है कि राजस्व ग्राम चावंडिया तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के खाता संख्या 12 के खसरा नंबरान 709 रकबा 0.15 है., 710 रकबा 0.16 है. के सहखातेदार श्यामसुन्दर पुत्र नाथू हिस्सा 1/6 के नाम को (अशुद्धि) त्रुटिपूर्ण दर्शाया जाकर दर्ज किया गया, जिसकी शुद्धि करना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम चावंडिया तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के खाता संख्या 12 के खसरा नंबरान 709 रकबा 0.15 है., 710 रकबा 0.16 है. के सहखातेदार श्यामसुन्दर पुत्र नाथू हिस्सा 1/6 के नाम दर्शाया गया है, जिसके स्थान पर नाम संशोधन के पश्चात् श्यामलाल पुत्र नाथू (अन्य राजस्व रिकॉर्ड यथावत्) तरमीम करने के आदेश तहसीलदार पुष्कर को प्रदान किये जाते है।

यह निर्णय आज दिनांक 20.07.2021 को मेरे [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.07.28 11:58:39 IST
Reason: SelfAttested

Rathore 20/07/21
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,पुष्कर